झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची–834001

प्रेस विज्ञप्ति

झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा–2021 (विज्ञापन संख्या–01/2021) हेतु Online आवेदन–पत्र भरने तथा वांछित अभिलेख/प्रमाण–पत्र Upload करने संबंधी आवश्यक अनुदेश।

1. मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन Online भरे जायेंगे। यह आवेदन–पत्र आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।
2. Online आवेदन भरने की तिथि दिनांक–16.11.2021 से दिनांक–15.12.2021 तक निर्धारित है।
3. अभ्यर्थी Online आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर प्रदर्शित पूर्व का विस्तृत विज्ञापन एवं Online आवेदन भरने हेतु आवश्यक निदेश का भली–भांति अध्ययन कर लेंगे।
4. Online आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये आयोग के Helpline No.+919431301636/+919431301419 पर कार्यदिवस में पूर्वाह्न 10:00 से अपराह्न 06:00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।
5. Online आवेदन भरे जाने के लिये अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि डालकर Login करेंगे। Login करने के बाद Step-1 में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में अंकित किये गये विवरणी देख सकेंगे, तत्पश्चात Step-2 में मुख्य परीक्षा हेतु वांछित विवरण अंकित करेंगे एवं आवश्यकतानुसार अभिलेख/प्रमाण–पत्र का Scan Copy PDF File में Upload करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा निम्न निदेश के आलोक में मुख्य परीक्षा हेतु Online आवेदन पत्र भरा जाना है एवं साथ ही आवश्यकतानुसार वांछित अभिलेख/प्रमाण–पत्र Upload किया जाना अनिवार्य है।

I. मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले Online आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा द्वितीय पत्र के लिये भाषा समूह में से किसी एक भाषा एवं साहित्य के विषय का चुनाव विज्ञापन की कंडिका–17(a) के आलोक में किया जाना अनिवार्य है।

II. मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले Online आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा मुख्य (लिखित) परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिये (भाषा एवं साहित्य को छोड़कर) एवं साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिये हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का चयन करना अनिवार्य है।

III. मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले Online आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में कुल–11 (ग्यारह) सेवाओं/संवर्गो में से अंतिम रूप से चयनित होने के लिये सेवाओं/संवर्गो की प्राथमिकता अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

IV. मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले Online आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अर्हता के संबंध में किये गये दावे के संबंध में तत्संबंधी शैक्षणिक प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

V. मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले Online आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गये Online आवेदन में अंकित किये गये कोटि यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अत्यंत पिछड़ा वर्ग–I (EBC-I), पिछड़ा वर्ग–II (BC-II), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं आदिम जनजाति (Primitive Tribe) के दावे के संबंध में पूर्व में निर्गत विज्ञापन की कंडिका–7 एवं उसके क्रम में दिनांक–18.02.2021 को निर्गत प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार संबंधित जाति प्रमाण–पत्र का निर्गत संख्या एवं तिथि तथा निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकार का उल्लेख करते हुए तत्संबंधी प्रमाण–पत्र Upload करना अनिवार्य होगा।

VI. मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले Online आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गये Online आवेदन में निःशक्ता संबंधी आरक्षण के दावे की स्थिति में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–2249 दिनांक–03.04.2018 के आलोक में (कम से कम 40 प्रतिशत निःशक्त) सक्षम मेडिकल बोर्ड एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निःशक्ता प्रमाण–पत्र की निर्गत संख्या एवं दिनांक का अकंण करते हुए तत्संबंधी निःशक्ता प्रमाण–पत्र Upload करना अनिवार्य होगा।

VII. मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले Online आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गये Online आवेदन में खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–1709 दिनांक–12.09.2007 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रमाण–पत्र Upload करना अनिवार्य होगा।

VIII. अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गये Online आवेदन में झारखण्ड राज्य के नियमित सरकारी सेवक का दावा कर अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले Online आवेदन में राज्य के अधीन नियमित सरकारी सेवक के रूप में नियोजन का पूर्ण विवरण अंकित करते हुऐ नियंत्री पदाधिकारी (Controlling Officer)/विभागाध्यक्ष (Head of the Department) के स्तर से निर्गत प्रमाण–पत्र Upload करना अनिवार्य होगा।

IX. अभ्यर्थी द्वारा भूतपूर्व सैनिकों (Ex-servicemen) के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ के दावा के संबंध में वांछित अभिलेख/प्रमाण–पत्र Upload करना अनिवार्य है।

6. अन्तर्वीक्षा के समय अभिलेख सत्यापन के क्रम में उपरोक्त सभी संबंधित अभिलेख/प्रमाण–पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आयोग द्वारा अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है तथा इसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

7. Online आवेदन में दी गयी सूचना एवं Upload किये गये अभिलेख/प्रमाण–पत्र में भिन्नता की स्थिति में आयोग द्वारा अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी।

8. किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई तथ्य छिपाने या गलत तथ्य पाए जाने या प्रस्तुत किये जाने का प्रमाण मिलने पर अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी।

9. Online आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

10. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

ह0/–
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।